



राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-1) विभाग

क्रमांक : प.5(4)कार्मिक/क-1/2025

जयपुर, दिनांक : 16-05-2025

आज्ञा

इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 08-05-2025 जिसके द्वारा आपातकालीन स्थिति के दृष्टिगत राज्य के समस्त शासकीय विभागों / कार्यालयों में कार्यरत समस्त अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण को अवकाश स्वीकृत किये जाने के संबंध में निर्देश जारी किये गये थे, को तुरन्त प्रभाव से प्रत्याहरित किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(कनिष्क कटारिया) 16/5/2025

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
- 2 अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- 3 विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, समस्त उप मुख्यमंत्री / मंत्री / राज्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- 4 संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
- 5 सम्बन्धित अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / सम्भागीय आयुक्त / विशिष्ट शासन सचिव।
- 6 महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
- 7 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर।
- 8 समस्त सम्बन्धित कण्ट्रोलिंग अधिकारी।
- 9 संयुक्त निदेशक, कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
- 10 निजी पत्रावली / लेखा पत्रावली / रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव